न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार, (स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 07 / 2026 तारीख रजू 17.02.2026 तारीख निर्णय 24.04.2026

कमलेश पुत्र लड्डू लाल जाति बैरवा निवासी बड़ौद तहसील खण्डार ।

—प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील खण्डार।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—श्री रामजीलाल बैरवा प्रार्थी की ओर से

निर्णय

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है:—

   प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 24 रकबा 4बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 1071 / 674 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी ग्राम बड़ौद मे स्थित है। जिस पर प्रार्थी ने पहले प्रार्थी के पिता व दादा ने काश्त की अब प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण खोला गया जिसमें प्रार्थी का नाम कमलेश के स्थान पर कमल अंकित कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेज कमलेश पुत्र लड्डू लाल है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में कमल पुत्र लड्डू के स्थान पर कमलेश पुत्र लडडू जाति बैरवा नाम अंकित किया जावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी (तहसीलदार खण्डार) से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम बडौद की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 408 में खसरा नम्बर 18 रकबा 2.13 बीघा, खसरा 21 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 24 रकबा 4.01 बीघा, खसरा 181 रकबा 4.18 बीघा, 1071 / 674 रकबा 5.16 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 20.08 बीघा खातेदारी भूमि में कमल पुत्र लड्डू जाति बैरवा सा. देह की संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता लड्डू पुत्र गंगल्या जाति बैरवा के नाम दर्ज मृत्यु के पश्चात् विरासत नामांतकरण नामा. संख्या 902 / 4—2—1990 के कमल पुत्र लड्डू जाति बैरवा दर्ज हुआ था जो वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज रिकॉर्ड है। कमल और कमलेश दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया, प्रार्थी के पिता की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण भरते समय कमलेश के स्थान पर कमल दर्ज कर दिया गया है। जिसकी पृष्टि तहसीलदार खण्डार ने अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई है कि कमलेश और कमल एक ही व्यक्ति है। इसीलिए प्रार्थी का उक्त [illegible] भूमि में लिपिकीय त्रुटि को सही कर कमल के स्थान पर कमलेश नाम [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीगण का भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की ग्राम बडौद तहसील खण्डार की वर्तमान जमाबंदी के

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

खाता संख्या 408 में खसरा नम्बर 18 रकबा 2.13 बीघा, खसरा 21 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 24 रकबा 4.01 बीघा, खसरा 181 रकबा 4.18 बीघा, 1071/674 रकबा 5.16 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 20.08 बीघा में कमल पुत्र लड्डू के स्थान पर कमलेश पुत्र लड्डू दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम हों तथा बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर, सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स.मा.)

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार(स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2026.05.18 11:16:53 IST
Reason: SelfAttested